



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 626]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2014—पौष 3, शक 1936

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-17.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2013 के माध्यम से आवास एवं पर्यावरण विभाग (वर्तमान में नगरीय विकास एवं पर्यावरण) द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारियों का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सेवाएं

क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित समय सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

17.3	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त लघु श्रेणी उद्योगों को सम्मति.	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस	सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण भंडल.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.
------	---	---	---------------	---	----------------	---

1252

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2014

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.4	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त लघु श्रेणी उद्योगों को सम्मति.	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस	सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल.	30 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.
17.7	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त वृहद् / मध्यम श्रेणी उद्योगों को सम्मति.	अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.
17.8	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त वृहद् / मध्यम श्रेणी उद्योगों को सम्मति.	अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.